EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 260—263

Dated: 1-3-2014

वस्त्र मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 52.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, आशुलिपिक श्रेणी 1, 2 और 3 भर्ती नियम, 2004, को, जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी 3 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय में आशुलिपिक श्रेणी-2 के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, आशुलिपिक श्रेणी-2, समूह 'ग'पद भर्ती नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता : वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिवत.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

_		
अन	सचा	•

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(À)	(5)	(6)
1. आशुलिपिक श्रेणी-2	2* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन रु. 2400	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

•

		<u> </u>	(6)
			टिप्पणी: आयु सीमा अव-
			धारित करने की निर्णायव तारीख कर्मचारी चयन आयोग
·			द्वारा विज्ञापित की जाएगी।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती किए जाने वा		वीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	के लिए विहित आयु अ अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियं		
•	अहताए प्रान्तत ज्याक्तव में लागू होंगी या नहीं	। का प्रा ं	•
(7)	(8)		(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्व विद्यालय	लागू नहीं होता		दो वर्ष
से 12वीं कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण			
(ii) कौशल परीक्षण संनियम श्रुतलेख:—			
10 मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से			
(iii) प्रतिलेखन : 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट हिंदी (कम्प्यूटर पर)	•		
उठ विचाद (आश्रणा), ठउ विचट छिपा (कम्प्यूटर पर)	<u> </u>		
भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्ति	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेल	न द्वारा भर्ती की दशा
आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने	वाली रिक्तियों की	_	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या
प्रतिशतता		आमेलन किया जाएगा	
(10)		(11)	
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वार	रा	लागू नहीं होता	
टिप्पणी: पदाधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या			
अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवि	-		
कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों वि अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए वि			
अनुभव है में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सब			
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरका			
संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित			
पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष	•		
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीम	ग आवेदन प्राप्त करने की		
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	·	- -	······································
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थिति	यों में संघ लोक सेवा आयोग से
		परामर्श किया जाएगा	
(12)		(13)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्तित समिति (पुष्टि के	संबंध में) जो	संघ लोक सेवा आयोग से प	रामर्श करना आवश्यक नहीं है।
निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:—			
 अपर/संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) स्था 	पना-1		-
अनुभाग का भारसाधक	अध्यक्ष		
2. वस्त्र मंत्रालय के कार्यालयों में निदेशक/उप-सि	चव		
या समतुल्य अधिकारी			

•

-

•

•

•

(12)		
3. अपर/संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा)	सदस्य	

[सं. 12018/1/2013-डीसीएचएल/स्था.-1]

दिनेश सिंह, अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2014

- GS.R. 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms Stenographer Grade-I, II and III Recruitment Rules, 2004, in so far as it relates to the post of Stenographer Grade-III, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II in the Office of the Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Textiles, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handlooms, Stenographer Grade-II, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc..—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
 - 4. Disqualification.—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-II	*Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200— 20200 plus Grade pay of Rs. 2400	Not applicable	Between 18-27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with instructins or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotess	Period of probation, if any	
(7)	(8)	(9)	
(i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University (ii) Skill Test Norms Dictation: 10 mts @ 80 w.p.m. Transcription: 50 mts (English), 65 mts. (Hindi) (On Computer)	Not applicable	Two years	
Method of recruitment: Whether by direct	In case of recruitment by pr	romotion /deputation/absorption,	
recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	n/deputation/absorption to be	
(10)	(11))	
By direct recruitment through Staff Selection	Not ap	plicable	
Commission			
Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstance for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications precribed for direct recruits under column 7.			
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Deapartment of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.)			
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commissio to be consulted in making recruitment		
(12)	(13)		
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for	Consultation with Union	n Public Service Commission	
confirmation) Consisting of: 1. Additional/Joint Development Commissioner (Handlooms) Incharge of E-I Section —Chairman 2. Director/Deputy Secretary or equivalent officers in the offices of the Ministry of Textiles —Member 3. Additional/Joint Development Commissioner (Handlooms) —Member			
		No. 12019/1/2012 DCUI/East 1	

[No. 12018/1/2013-DCHL/Estt. -I]

DINESH SINGH, Addl. Development Commissioner for Handlooms